पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 जुलाई, 2018 ई0 (आषाढ़ 30, 1940 शक सम्वत्) [संख्या–29

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	421–425	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	497–512	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	81–86	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–1

विज्ञप्ति / प्रोन्नति

07 जून, 2018 ई0

संख्या 586 / XX–1 / 2018–3(2)2004–प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान से अपर पुलिस अधीक्षक, श्रेणी–2 में पदोन्नति हेतु दिनांक 05.06.2018 को सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक में लिए गये निर्णयोपरान्त चयन समिति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री परीक्षित कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान से अपर पुलिस अधीक्षक, श्रेणी–2, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600 (यथापुनरीक्षित) के पद पर उनसे आसन्न कनिष्ठ श्री हरेन्द्र पाल सिंह की अपर पुलिस अधीक्षक, श्रेणी–2 के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 27.03.2018 से नोशनल पदोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री परीक्षित कुमार को उक्त नोशनल पदोन्नति के लिए कोई एरियर देय नहीं होगा। श्री परीक्षित कुमार को पदोन्नति का वास्तविक लाभ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,

प्रमुख सचिव।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2

अधिसूचना

25 जून, 2018 ई0

संख्या 391 / XIII(2) / 2018–28(01) / 2014–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 9, वर्ष 2011) की धारा 3 सपठित धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासन की अधिसूचना संख्या–869 / XIII(2) / 28(01) / 2014, दिनांक 21 सितम्बर, 2015 द्वारा अनुसूची में शीर्षक (क) के क्रमांक 8 विविध की मद संख्या 21 में सम्मिलित मैंथा प्रजाति के सभी प्रकार के हर्ब मिन्ट, उनके तेल और तेलों से निकाले गए ठोस पदार्थ को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों की श्रेणी से निकालते हुए, मद संख्या 21 को विलोपित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डी0 सेंथिल पाण्डियन,

सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, The Governor is pleased to order the publication of the following english translation of Notification **No. 391/XIII-II/2018-28(01)/2014,** dated June 25, 2018 for the general information.

NOTIFICATION

June 25, 2018

No. 391/XIII-(2)/2018-28(01)/2014--In Exercise of the powers conferred by Section 3 read with clause (a) of subsection (1) of section 12 of the Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2011 (Act No. 09 of 2011), the Governor is pleased to omit item no. 21 by excluding all type of Herb Mint, the solids derived from the oil and oils of mentha spices included in item no. 21 of serial no. 8 miscellaneous of head (a) in the schedule *vide* notification no. 889/XIII-(2)/2014, dated 21st September, 2015 from the category of agriculture products.

By Order,

D. SENTHIL PANDIYAN,

Secretary.

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

विज्ञप्ति

02 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 496/XXXI(1)/2018/पदो0–19/2014–वित्त विभाग के शासनादेश सं0–589/XXVII(7)40(IX)2011, दिनांक 01.07.2013 के प्रस्तर–2 के उपखण्ड (1) (ख) के परन्तुक में निर्धारित प्राविधानान्तर्गत निम्न विवरणानुसार सचिवालय सेवा के अनुसचिवों को प्रथम पदोन्नति की तिथि से 06 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में तालिका के स्तम्भ–5 में अंकित तिथिनुसार अनुसचिव वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600 अनुमन्य किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम/ पदनाम	वर्तमान वेतनमान	प्रथम पदोन्नति की तिथि से 06 वर्ष पूर्ण होने की तिथि	द्वितीय ए0सी0पी0 की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती मोनिका गर्ब्याल, अनुसचिव	₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600 (लेवल–11)	27.08.2015	28.08.2015
2.	श्री ज्योतिर्मय त्रिपाठी, अनुसचिव	₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600 (लेवल–11)	15.10.2015	16.10.2015

आज्ञा से,

इन्दुधर बौड़ाई,

अपर सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

तदर्थ प्रोन्नति/विज्ञप्ति

28 मार्च, 2018 ई0

संख्या 486/XXXI(1)/2018/पदो0–03/2017–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री राजेन्द्र प्रसाद डोभाल को अनुभाग अधिकारी, वेतनमान, लेवल–10 (पूर्व वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किए जाने की तिथि से तदर्थ रूप से पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राजेन्द्र प्रसाद डोभाल की अनुभाग अधिकारी के पद पर उक्त तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन रहेगीः–

(I) श्री डोभाल की तदर्थ पदोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिए की जाती है अर्थात् शासन को तदर्थ प्रोन्नति को कभी भी समाप्त कर देने का अधिकार है तथा तद्नुसार कभी भी समीक्षा अधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(II) श्री डोभाल के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उनके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी उस दशा में की जाती, यदि इन्हें तदर्थ प्रोन्नति प्रदान न की गई होती।

(III) यदि मा0 न्यायालय द्वारा श्री डोभाल को तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नहीं) दोषमुक्त किया जाता है और मा0 सक्षम न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील का प्रस्ताव है, तो उस दशा में सक्षम प्राधिकारी इस बिन्दु पर विचार करेंगे कि आरोपित कार्मिक को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाय अथवा नहीं।

3. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री राजेन्द्र प्रसाद डोभाल, अनुभाग अधिकारी को परिवहन अनुभाग–02 में तैनात किया जाता है।

4. श्री डोभाल, अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी पदोन्नति/तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करते हुए, सचिवालय प्रशासन (अधि0), अनुभाग–01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

28 मार्च, 2018 ई0

संख्या 487/XXXI(1)/2018/पदो0–03/2017–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी वेतनमान, लेवल–10 (पूर्व वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400) के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किए जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) श्री धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी,

(2) श्रीमती विमला चौहान,

(3) श्री गोविन्द सिंह मेहता।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अनुभाग अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्याः 1997/2013(एस/एस), धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्याः146 एस0बी0/2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्याः 22122/2013, सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 270(एस0बी0)/2015, शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्याः 271(एस0बी0)/2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्याः 272(एस0बी0)2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्याः 273(एस0बी0)/2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्याः 274(एस0बी0)/2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन की जा रही है।

4. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप निम्न तालिका के क्रमांक–02 में अंकित अधिकारियों के नाम के सम्मुख कॉलम–3 में इंगित विभागों/अनुभागों में एतद्द्वारा तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिकों के नाम	तैनाती के विभाग/अनुभाग
1	2	3
1.	श्री धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी	गृह अनुभाग–03
2.	श्रीमती विमला चौहान	युवा कल्याण अनुभाग
3.	श्री गोविन्द सिंह मेहता	प्रोटोकॉल अनुभाग

5. उपरोक्त अनुभाग अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नति/तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करते हुए, सचिवालय प्रशासन (अधि0), अनुभाग–01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

28 मार्च, 2018 ई0

संख्या 488/XXXI(1)/2018/पदो0–03/2017–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री पंकज कुमार मिश्र को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान, लेवल–10 (पूर्व वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400) के रिक्त पद पर दिनांक 31 मार्च, 2018 के उपरान्त कार्यभार ग्रहण किए जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री पंकज कुमार मिश्र, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्याः 1997/2013(एस/एस), धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या:146 एस0बी0/2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्याः 22122/2013, सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 270(एस0बी0)/2015, शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्याः 271(एस0बी0)/2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्याः 272(एस0बी0)2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्याः 273(एस0बी0)/2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्याः 274(एस0बी0)/2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन की जा रही है।

4. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री पंकज कुमार मिश्र, अनुभाग अधिकारी को गृह अनुभाग–08 में तैनात किया जाता है।

5. श्री पंकज कुमार मिश्र, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नति/तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करते हुए, सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

हरबंस सिंह चुघ,
प्रभारी सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 29 हिन्दी गजट/397–भाग 1–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 जुलाई, 2018 ई0 (आषाढ़ 30, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

May 26th, 2018

No. 194/UHC/VII-a-1/Stationery--Pursuant to the Government Notification No. 408/XXXI(15)18/G/U0O001(SA0)/2012-18, dated 02nd May, 2018, issued U/s 25 Negotiable Instrument Act. 1881 (Act of 26, 1881), 28/05/2018 (Monday) is hereby declared holiday in the Subordinate/Outlying Court, Tharali (Distt. Chamoli), where the Bye-Elections are being held on 28/05/2018 (Monday).

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

NARENDRA DUTT,

Registrar General.

NOTIFICATION

July 03, 2018

No. 210/UHC/XIV-a/33/Admin.A/2017--Ms. Minakshi Dubey, Judicial Magistrate, Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned maternity leave for 70 days *w.e.f.* 09.04.2018 to 17.06.2018.

NOTIFICATION

July 03, 2018

No. 211/UHC/XIV-a-28/Admin.A/2010--Sri Shamsher Ali, Additional District & Sessions Judge, Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 11.06.2018 to 23.06.2018 with permission to prefix 09.06.2018 & 10.06.2018 as 2nd Saturday and Sunday holidays and suffix 24.06.2018 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

07 जुलाई, 2018 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,

देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 2261/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनुभाग/18–19/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएँ 574/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CTR-26, 575/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CTR-27 एवं 577/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CTR-28, समदिनांकित 06 जुलाई, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (पाँचवां संशोधन) नियम, 2018; माल या माल के वर्ग को अधिसूचित करना, जिनका निस्तारण/निपटान उचित अधिकारी द्वारा अभिग्रहित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र किया जाए तथा उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2018 को अधिसूचित किया गया है।

उक्त अधिसूचनाओं की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

06 जुलाई, 2018 ई0

संख्या 574/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-26–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 01, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 में अग्रेत्तर संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्–

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (पाँचवां संशोधन) नियम, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (पाँचवां संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय ये दिनांक 13 जून, 2018 से प्रवृत्त होंगे।

नियम 37 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे यहाँ आगे मूल नियम कहा गया है) के नियम 37 के उपनियम (1) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

परन्तु यह और कि धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसार जोड़ी गई किसी रकम के मद्दे पूर्तियों के मूल्य को धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परन्तुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगा।

नियम 83 का संशोधन

3. "मूल नियम" के नियम 83 के उपनियम (3) के दूसरे परन्तुक में "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "अठारह मास" शब्द रख दिए जायेंगे।

नियम 89 का संशोधन

4. दिनांक 01 जुलाई, 2017 से "मूल नियम" में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान नियम 89 के उपनियम (5) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
89. (5) विपरीत शुल्क ढाँचा के मद्दे प्रतिदाय की दशा में, इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दिया जाएगा:–	89. (5) विपरीत शुल्क ढाँचा के मद्दे प्रतिदाय की दशा में, इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दिया जाएगा:–
अधिकतम प्रतिदाय की रकम = {(व्युतक्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त)×शुद्ध आईटीसी ÷समायोजित कुल आवर्त}–ऐसे व्युतक्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर संदेय कर।	अधिकतम प्रतिदाय की रकम = {(व्युतक्रमित दर के माल और सेवाओं की पूर्तियों का आवर्त)×शुद्ध आईटीसी ÷समायोजित कुल आवर्त}–ऐसे व्युतक्रमित दर के माल और सेवाओं के पूर्तियों पर संदेय कर।
स्पष्टीकरण–इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए,–	स्पष्टीकरण–इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए,–
(क) "शुद्ध आईटीसी" पद से सुसंगत अवधि के दौरान, ऐसे उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न, जिसके लिए उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, इनपुटों पर उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है; और	(क) "शुद्ध आईटीसी" पद से सुसंगत अवधि के दौरान, ऐसे उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न, जिसके लिए उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, इनपुटों पर उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है; और
(ख) "समायोजित कुल आवर्त" पद का वही अर्थ होगा जो उपनियम (4) में उसका है।	(ख) "समायोजित कुल आवर्त" पद का वही अर्थ होगा जो उपनियम (4) में उसका है।

नियम 95 का संशोधन

5. दिनांक 01 जुलाई, 2017 से "मूल नियम" में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान नियम 95 के उपनियम (3) के खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
95. (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से एक कर बीजक के विरूद्ध माल या सेवा या दोनों के आवक पूर्तियों;	95. (3)(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से, माल या सेवाएँ या दोनों की आवक पूर्ति किसी कर बीजक के विरुद्ध प्राप्त किए गए थे;

नियम 97 का संशोधन

6. "मूल नियम" के नियम 97 में वर्तमान उपनियम (1) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्–

परन्तु यह और कि माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 11 के साथ पठित धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन अवधारित उपकर की रकम के पचास प्रतिशत के समतुल्य रकम निधि में जमा की जाएगी।

नियम 133 का संशोधन

7. "मूल नियम" में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान नियम 133 के उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान उपनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
133. (3) जहाँ प्राधिकरण यह अवधारित करता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के पूर्ति पर कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय को मूल्यों में कटौती की अनुस्पता से प्राप्तिकर्ता नहीं पहुँचाया है, प्राधिकरः–	133. (3) जहाँ प्राधिकरण यह अवधारित करता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, प्राप्तिकर्ता को माल या सेवाओं की पूर्ति पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा, कीमत में आनुपातिक कमी के रूप में नहीं दिया था, वहाँ प्राधिकरणः–
(क) मूल्यों में कटौती का आदेश कर सकेगा;	(क) कीमतों में कमी करने;
(ख) प्राप्तिकर्ता को, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से होने वाली रकम के समकक्ष रकम, उच्च दर पर रकम संग्रहित करने की तारीख से वापिस करने की तारीख तक अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित, वापिस करने का आदेश दे सकेगा; यथास्थिति उस दशा में जहाँ पात्र व्यक्ति ने वापिस की रकम प्राप्त करने का दावा नहीं किया है या अभिज्ञेय नहीं है, वसूली का आदेश दे सकेगा और उसे धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में निक्षेप करेगा।	(ख) प्राप्तिकर्ता को, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से होने वाली रकम के समकक्ष रकम, उच्चतर रकम के संग्रहण की तारीख से वापस करने की तारीख तक अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित, वापस करने या यथास्थिति वापस नहीं की गई रकम ब्याज सहित की वसूली करने;
(ग) अधिनियम के अधीन यथाविहित शास्ति का अधिरोपण; और	(ग) जहाँ पात्र व्यक्ति ने रकम की वापसी का दावा नहीं किया है या उसकी पहचान नहीं हुई है, वहाँ उपरोक्त खण्ड के अधीन अवधारित रकम के पचास प्रतिशत के समतुल्य रकम को, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 57 के अधीन गठित निधि में और रकम का शेष पचास प्रतिशत उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 57 के अधीन गठित निधि में जमा करने;
(घ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण।	(घ) अधिनियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट शास्ति के अधिरोपण; और
	(ङ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण; का आदेश कर सकेगा।

नियम 138 का संशोधन

8. "मूल नियम" में वर्तमान नियम 138 के उपनियम (14) के खण्ड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्–

(ण) जहाँ पूर्ति से भिन्न किन्हीं कारणों से, द्रवित पेट्रोलियम गैस की पैकिंग के लिए खाली सिलेण्डरों को हटाया जाता है।

प्ररूप जीएसटीआर–4 में संशोधन

9. "मूल नियम" में वर्तमान प्ररूप जीएसटीआर–4 में, अनुदेशों में, क्रम सं0 10 पर दिए गए अनुदेश के स्थान पर निम्नलिखित अनुदेश रखा जाएगा; अर्थात्–

10. जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2017, अक्तूबर, 2017 से दिसम्बर, 2017, जनवरी, 2018 से मार्च, 2018 और अप्रैल 2018 से जून, 2018 तक की कर अवधियों के लिए सारणी–4 का क्रम 4क नहीं दिया जाएगा।

प्ररूप जीएसटी पीसीटी–01 में संशोधन

10. दिनांक 01 जुलाई, 2017 से "मूल नियम" के प्ररूप जीएसटी पीसीटी–01 में:–

(क) क्रम संख्या 4 के सामने, प्रविष्टि (10) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

(11) कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन विक्रय कर व्यवसायी;

(12) कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन कर विवरणी तैयारकर्ता;

(ख) "सहमति" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि:–

(i) मैं भारत का नागरिक हूँ;

(ii) मैं स्वस्थ चित्त का व्यक्ति हूँ;

(iii) मुझे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णित नहीं किया गया है; और

(iv) मुझे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है।

प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01 में संशोधन

11. "मूल नियम" के प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01 में:–

(क) विवरण 1क के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्–

"विवरण 1क"

[नियम 89 (2) (ज) देखें]

प्रतिदाय किस्म : विपर्यस्त कर ढाँचे के कारण संचित आईटीसी

[धारा 54(3) के पहले परन्तुक का खण्ड (ii)]

क्र0 सं0	प्राप्त पूर्तियों के आवक बीजकों के ब्यौरे				आवक पूर्तियों पर संदत्त कर			जारी जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे			जावक पूर्तियों पर संदत्त कर		
	पूर्तिकार का जीएसटी आईएन	सं0	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	सं0	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													";

(ख) विवरण 5ख के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्–

"विवरण 5ख"

[नियम 89 (2) (छ) देखें]

प्रतिदाय किस्म : समझे गये निर्यातों के मद्दे

(रकम ₹ में)

क्र0 सं0	पूर्तिकार द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे/प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में आवक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे				संदत्त कर			
	पूर्तिकार का जीएसटीआईएन	सं0	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								;"

प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01क में संशोधन

12. "मूल नियम" के प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01क के उपाबन्ध में:–

(क) विवरण 1क के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्–

"विवरण 1क"

[नियम 89 (2) (ज) देखें]

प्रतिदाय किस्म : विपर्यस्त कर ढाँचे के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के पहले परन्तुक का खण्ड (ii)]

क्र0 सं0	प्राप्त पूर्तियों के आवक बीजकों के ब्यौरे				आवक पूर्तियों पर संदत्त कर			जारी जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे			जावक पूर्तियों पर संदत्त कर		
	पूर्तिकार का जीएसटी आईएन	सं0	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	सं0	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													";

(ख) विवरण 5ख के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्–

"विवरण 5ख"

[नियम 89 (2) (छ) देखें]

प्रतिदाय किस्म : समझे गये निर्यातों के मद्दे

(रकम ₹ में)

क्र0 सं0	पूर्तिकार द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे/प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में आवक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे				संदत्त कर			
	पूर्तिकार का जीएसटीआईएन	सं0	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								;"

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 574/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-26,** Dated July 06, 2018 for general information.

NOTIFICATION

July 06, 2018

No. 574/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-26--In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (Act No. 01 Year 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2018

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2018.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force from the 13th day of June, 2018.

Amendment in Rule 37

2. In rule 37 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the Principal Rules), in sub-rule (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :--

Provided further that the value of supplies on account of any amount added in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (2) of section 15 shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso to sub-section (2) of section 16.

Amendment in Rule 83

3. In rule 83 of the "Principal Rules", in sub-rule (3), in the second proviso, for the words "one year", the words "eighteen months" shall be substituted.

Amendment in Rule 89

4. With effect from 01st July, 2017, in rule 89 of the "Principal Rules", for sub-rule (5) set out in column-1, the following sub-rule set out in column-2 shall be substituted, namely:--

Column-1	**Column-2**
Existing sub-rule	*Hereby substituted sub-rule*
89. (5) In the case of refund on account of inverted duty structure, refund of input tax credit shall be granted as per the following formula :--	89. (5) In the case of refund on account of inverted duty structure, refund of input tax credit shall be granted as per the following formula :--
Maximum Refund Amount={(Turnover of inverted rated supply of goods and services)×Net ITC÷ Adjusted Total Turnover}-tax payable on such inverted rated supply of goods and services.	Maximum Refund Amount={(Turnover of inverted rated supply of goods and services)×Net ITC÷ Adjusted Total Turnover}-tax payable on such inverted rated supply of goods and services.
Explanation:--For the purposes of this sub-rule, the expressions--	**Explanation:**--For the purposes of this sub-rule, the expressions--
(a) "Net ITC" shall mean input tax credit availed on inputs during the relevant period other than the input tax credit availed for which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) of both; and	(a) "Net ITC" shall mean input tax credit availed on inputs during the relevant period other than the input tax credit availed for which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) of both; and
(b) "Adjusted Total turnover" shall have the same meaning as assigned to it in sub-rule (4).	(b) Adjusted Total turnover shall have the same meaning as assigned to it in sub-rule (4).

Amendment in Rule 95

5. With effect from 01st July, 2017, in rule 95 of the "Principal Rules", in sub-rule (5), for clause (a) set out in column-1, the following clause set out in column-2 shall be substituted, namely:--

Column-1	Column-2
Existing clause	*Hereby substituted clause*
(a) the inward supplies of goods or services or both were received from a registered person against a tax invoice;	(a) the inward supplies of goods or services or both were received from a registered person against a tax invoice;

Amendment in Rule 97

6. In rule 97 of the "Principal Rules", in sub-rule (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :

Provided further that an amount equivalent to fifty per cent of the amount of cess determined under sub-section (5) of section 54 read with section 11 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), shall be deposited in the Fund.

Amendment in rule 133

7. In rule 133 of the "Principal Rules", for sub-rule (3) set out in column-1, the following sub-rule set out in column-2 shall be substituted, namely :--

Column-1	Column-2
Existing sub-rule	*Hereby substituted sub-rule*
133.(3) Where the Authority determines that a registered person has not passed on the benefit of reduction in rate of tax on the supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices, the Authority may order--	133.(3) Where the Authority determines that a registered person has not passed on the benefit of reduction in rate of tax on the supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices, the Authority may order--
(a) reduction in prices;	(a) reduction in prices;
(b) return to the recipient, an amount equivalent to the amount not passed on by way of commensurate reduction in prices along with interest at the rate of eighteen per cent from the date of collection of higher amount till the date of return of such amount or recovery of the amount including interest not returned, as the case may be, in case the eligible person does not claim return of the amount or is not identifiable and depositing the same in the Fund referred to in section 57;	(b) return to the recipient, an amount equivalent to the amount not passed on by way of commensurate reduction in prices along with interest at the rate of eighteen per cent from the date of collection of higher amount till the date of return of such amount or recovery of the amount including interest not returned, as the case may be;
(c) imposition of penalty as specified under the Act; and	(c) the deposit of an amount equivalent to fifty per cent of the amount determined under the above clause in the Fund constituted under section 57 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and the remaining fifty per cent of the amount in the Fund constituted under section 57 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017, where the eligible person does not claim return of the amount or is not identifiable;

Column-1	Column-2
Existing sub-rule	*Hereby substituted sub-rule*
(d) cancellation of registration under the Act.	(d) imposition of penalty as specified under the Act; and (e) cancellation of registration under the Act.

Amendment in Rule 138

8. In rule 138 of the "Principal Rules", in sub-rule (14), after clause (n), the following clause shall be inserted, namely :--

(o) where empty cylinders for packing of liquefied petroleum gas are being moved for reasons other than supply";

Amendment in FORM GSTR-4

9. In **FORM GSTR-4** of the "Principal Rules", in the Instructions, for Sl. No. 10, the following shall be substituted, namely :--

10. For the tax periods July, 2017 to September, 2017, October, 2017 to December, 2017, January, 2018 to March, 2018 and April, 2018 to June 2018, serial 4A of Table 4 shall not be furnished";

Amendment in FORM GST PCT-01

10. With effect from 01st July, 2017, in **FORM GST PCT-01** of the "Principal Rules", in PART B--

(a) against Sl. No. 4, after entry (10), the following shall be inserted, namely:--"(11) Sales Tax practitioner under existing law for a period of not less than five years;

(12) tax return preparer under existing law for a period of not less than five years";

(b) after the **"Consent",** the following shall be inserted, namely:--

Declaration

I hereby declare that:

(i) I am a citizen of India;

(ii) I am a person of sound mind;

(iii) I have not been adjudicated as an insolvent; and

(iv) I have not been convicted by a competent court.

Amendment in FORM GST RFD-01

11. In FORM GST RFD-01 of the "Principal Rules", in Annexure-1-(a) for Statement 1A, the following Statement shall be substituted, namely:--

"Statement 1A"

[*see rule 89(2)(h)*]

Refund Type : ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

Sl. No.	Details of invoices of inward supplies received				Tax paid on inward supplies			Details of invoices of outward supplies issued			Tax paid on outward supplies		
	GSTIN of the	No.	Date	Taxable	Integrated	Central Tax	State Tax	No.	Date	Taxable	Integrated	Central Tax	State Tax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(b) for Statement 5B, the following Statement shall be substituted, namely:--

"Statement 5B"

[See *rule 89(2)(g)*]

Refund Type:On account of deemed exports

(Amount in ₹)

Sl. No.	Details of invoices of outward supplies in case refund is claimed by supplier/Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient				Tax paid			
	GSTIN of the supplies	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								;"

Amendment FORM GST RFD-01A

12. In FORM GST RFD-01A of the "Principal Rules", Annexure-1

(a) for Statement 1A, the following Statement shall be substituted, namely:--

"Statement 1A"

[*see rule 89(2)(h)*]

Refund Type : ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

Sl. No.	Details of invoices of inward supplies received				Tax paid on inward supplies			Details of invoices of outward supplies issued			Tax paid on outward supplies		
	GSTIN of the supplier	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													;"

(b) for Statement 5B, the following Statement shall be substituted, namely:--

"Statement 5B"

[See rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports

(Amount in ₹)

Sl. No.	Details of invoices of outward supplies in case refund is claimed by supplier/Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient				Tax paid			
	GSTIN of the supplier	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								;"

अधिसूचना

06 जुलाई, 2018 ई0

संख्या 575/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-27–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 67 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न सारणी में वर्णित माल या माल के वर्ग को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिनका निपटान उचित अधिकारी द्वारा, माल की विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति, समय अन्तराल के साथ मूल्य में अवक्षयण, नियन्त्रित भण्डारण स्थान या अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, मूल अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन उसके अभिग्रहण के पश्चात् यथाशीघ्र किया जायेगा:–

अनुसूची

(1)	लवण और आर्द्रताग्राही पदार्थ
(2)	कच्चे (आर्द और लवणीय) खाल और चर्म
(3)	समाचार–पत्र और पत्रिकाएँ
(4)	मेंथॉल, कपूर, केसर
(5)	बाल पॉइंट पेन के लिए रिफिल
(6)	लाइटर, ईंधन, जिसके अन्तर्गत रीफिल न हो सकने वाले गैस लाइटर प्रभावी पदार्थ भी हैं
(7)	सेल, बैटरी और रीचार्जेबल बैटरी
(8)	पेट्रोलियम उत्पाद
(9)	खतरनाक औषधियाँ और मनःप्रभावी पदार्थ
(10)	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के खण्ड–6 के अधीन आने वाली थोक औषधियाँ और रसायन
(11)	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 30 के भीतर आने वाले औषधीय उत्पाद
(12)	आतिशबाजी
(13)	लाल चन्दन
(14)	चन्दन की लकड़ी
(15)	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 1 से 24 के भीतर आने वाले सभी कराधेय माल
(16)	ऐसा सभी अदावाकृत/परित्यक्त माल जो प्रौद्योगिकी में त्वरित परिवर्तन या नवीन मॉडलों आदि के कारण मूल्य में त्वरित अवक्षयण योग्य है
(17)	उक्त अधिनियम की धारा 67 के अधीन उचित अधिकारी द्वारा अभिगृहीत कोई ऐसा माल, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (6) के अधीन अनंतिम रूप से निर्मोचित किया गया है किन्तु संबंधित व्यक्ति द्वारा, अनन्तिम रूप से, निर्मोचन के लिए बंधपत्र के निष्पादन की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर निर्मोचन नहीं लिया गया है

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 जून, 2018 से प्रवृत्त होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 575/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-27,** Dated July 06, 2018 for general information.

NOTIFICATION

July 06, 2018

No. 575/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-27--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 67 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereinafter referred to as the Principal Act), the Governor is pleased to allow to notify the goods or the class of goods (herein after referred to as the said goods) mentioned in the Schedule below, which shall, as soon as may be after its seizure under sub-section (2) of section 67 of the Principal Act, be disposed of by the proper officer, having regard to the perishable or hazardous nature, depreciation in value with the passage of time, constraints of storage space or any other relevant considerations of the said goods.

Schedule

(1)	Salt and hygroscopic substances
(2)	Raw (wet and salted) hides and skins
(3)	News papers and periodicals
(4)	Menthol, Camphor, Saffron
(5)	Re-fills for ball-point pens
(6)	Lighter fuel, including lighters with gas, not having arrangement for refilling
(7)	Cells, batteries and rechargeable batteries
(8)	Petroleum Products
(9)	Dangerous drugs and psychotropic substances
(10)	Bulk drugs and chemicals falling under Section VI of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)
(11)	Pharmaceutical products falling within Chapter 30 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)
(12)	Fireworks
(13)	Red Sandal
(14)	Sandalwood
(15)	All taxable goods falling within Chapters 1 to 24 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)
(16)	All unclaimed/abandoned goods which are liable to rapid depreciation in value on account of fast change in technology or new models etc
(17)	Any goods seized by the proper officer under section 67 of the said Act, which are to be provisionally released under sub-section (6) of section 67 of the said Act, but provisional release has not been taken by the concerned person within a period of one month from the date of execution of the bond for provisional release.

2. This notification shall come into force on the 13th day of June, 2018.

अधिसूचना

06 जुलाई, 2018 ई0

संख्या 577/2017/10(120)/XXVII(8)/2018/CT-28–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 01, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहर्ष उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्–

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2018

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये दिनांक 19 जून, 2018 से प्रवृत्त होंगे।

नियम 58 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे यहाँ आगे मूल नियम कहा गया है) के नियम, 58 में उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

(1क) इन नियमों के अध्याय 16 के प्रयोजनों के लिए, एक ही स्थायी खाता संख्या वाला कोई ऐसा परिवाहक, जो एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत है, अपनी किसी एक माल और सेवा कर पहचान संख्यांक का उपयोग करके, प्ररूप जीएसटी ईएनआर–02 में ब्यौरे देते हुए, विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक के लिए आवेदन कर सकेगा और दिए गए ब्यौरों का विधिमान्यकरण होने पर, विशिष्ट समान्य नामांकन संख्यांक बनाया जाएगा और उसे उक्त परिवाहक को संसूचित किया जाएगा:

परन्तु जहाँ उक्त परिवाहक ने विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक प्राप्त कर लिया है, वहाँ वह उक्त अध्याय 16 के प्रयोजनों के लिए किसी भी माल और सेवा कर पहचान संख्यांक के उपयोग का हकदार नहीं होगा।

नियम 138ग का संशोधन

3. "मूल नियम" के नियम 138ग के उपनियम (1) पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

परन्तु जहाँ परिस्थितियाँ ऐसा अपेक्षित करें, वहाँ आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, दर्शित किए गए पर्याप्त कारणों के आधार पर, प्ररूप ईडब्ल्यूबी–03 के भाग ख में अन्तिम रिपोर्ट अभिलिखित करने के समय को, तीन दिन से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

स्पष्टीकरण–यथास्थिति, चौबीस घण्टे या तीन दिन की अवधि की संगणना उस तारीख की मध्यरात्रि से की जायेगी, जिसको यान बीच में रोका गया था।

नियम 142 का संशोधन

4. "मूल नियम" के नियम 142 के उपनियम (5) में "धारा 76 की उपधारा (3)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, "या धारा 129 या धारा 130" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

प्ररूप जीएसटी ईएनआर–01 का संशोधन

5. "मूल नियम" के प्ररूप जीएसटी ईएनआर–01 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"प्ररूप जीएसटी ईएनआर–02"

[नियम 58 (1क) देखिए]

विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन

[एक ही स्थायी खाता संख्या वाले केवल ऐसे परिवाहक के लिए, जो एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत है]

1.	(क) विधिक नाम	
	(ख) स्थायी खाता संख्या	

2. एक ही स्थायी खाता संख्या वाले के रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे

क्रम सं0	माल और सेवा कर पहचान संख्यांक	व्यापार का नाम	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

3. सत्यापन

मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषित करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और उसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है।

हस्ताक्षर

स्थान :.....

दिनांक.....

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पद/प्रास्थिति.....

कार्यालय उपयोग के लिए–

नामांकन संख्या.....

दिनांक.....

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 577/2018/10(120)/XXVII(8)/2018/CT-28,** Dated July 06, 2018 for general information.

NOTIFICATION

July 06, 2018

No. 577/2018/10(120)/XXVII(8)/2018/CT-28--In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (Act No. 01 Year 1904) (as applicable in Uttarakhand State), the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2018

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the 19th day of June, 2018.

Amendment in Rule 58

2. In rule 58 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the principal rules), after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:--

(1A) For the purposes of Chapter XVI of these rules, a transporter, who is registered in more than one State or Union Territory having the same Permanent Account Number, he may apply for a unique common enrolment number by submitting the details in **FORM GST ENR-02** using any one of his Goods and Services Tax Identificetion Numbers, and upon validation of the details furnished, a unique common enrolment number shall be generated and communicated to the said transporter;

Provided that where the said transporter has obtained a unique common enrolment number, he shall not be eligible to use any of the Goods and Services Tax Identification Numbers for the purposes of the said Chapter XVI.

Amendment in Rule 138C

3. In rule 138C of the "Principal Rules", after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:--

Provided that where the circumstances so warrant, the Commissioner or any other officer authorised by him, may, on sufficient cause being shown, extend the time for recording of the final report in Part B of **FORM EWB-03**, for a further period not exceeding three days.

Explanation—The period of twenty four hours or as the case may be three days shall be counted from the midnight of the date on which the vehicle was intercepted";

Amendment in Rule 142

4. In rule 142 of the "Principal Rules", in sub-rule (5), after the words and figures "of section 76", the words and figures "or section 129 or section 130" shall be inserted.

Amendment in FORM GST ENR-01

5. After **FORM GST ENR-01 of** the "Principal Rules, the following FORM shall be inserted, namely:--

FORM GST ENR-02

[*See Rule 58(1A)*]

Application for obtaining unique common enrolment number

[Only for transporters registered in more than one State or Union Territory having the same PAN]

1.	(a) Legal name	
	(b) PAN	

2. Details of registration having the same PAN

Sl. No.	GSTIN	Trade Name	State/UT

3. **Verification**

I, hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature

Place:.....

Name of Authorised Signatory

Date:.....

Designation/Status.....

For office use

Enrolment no.:

Date:"

By Order,

AMIT SINGH NEGI,

Secretary.

विपिन चन्द्र,

अपर आयुक्त, राज्य कर,

मुख्यालय, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 29 हिन्दी गजट/397–भाग 1–क–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 जुलाई, 2018 ई0 (आषाढ़ 30, 1940 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), अल्मोड़ा

सूचना

31 मई, 2018 ई0

संख्या 76 पं0चु0 / त्रि0पं0उप नि0 / 2018–19–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या–244 / रा0नि0आ0–2 / 2430 / 2018, दिनांक 30.05.2018 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, मैं, ईवा आशीष श्रीवास्तव, जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), अल्मोड़ा, सूचना के साथ संलग्नक प्रारूप–1, सदस्य, ग्राम पंचायत, प्रारूप–2, प्रधान, ग्राम पंचायत एवं प्रारूप–3, क्षेत्र पंचायत सदस्यों में उल्लिखित रिक्त पदों / स्थानों के उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार सूचित करती हूँ:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
05.06.2018 एवं 06.06.2018 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	07.06.2018 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	08.06.2018 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	09.06.2018 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	19.06.2018 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	21.06.2018 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा भी सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और सम्बन्धित तहसील और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पटों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किए जायेंगे।

3. नाम निर्देशन पत्रो की बिक्री सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

4. उक्त उप निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम, 2016 की धारा–194(2) के अधीन रहते हुए , उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) के अनुसार इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। इन पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

प्रारूप–1

सदस्य, ग्राम पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों का विवरण

जनपद का नाम–अल्मोड़ा

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) का क्रमांक	आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	हवालबाग (20)	केस्ता	1	अन्य महिला
2.		खत्याड़ी	7	अ0जा0 महिला
3.			2	अनारक्षित
4.		टाटीक	5	अ0जा0 महिला
5.		डाल	5	अ0जा0 महिला
6.			7	अनु0 जाति
7.		धामस	5	अ0जा0 महिला
8.		,,	9	अनु0 जाति
9.		फलसीमा	5	अ0जा0 महिला
10.		मटेलाअधार	4	अ0जा0 महिला
11.		माल	3	अ0जा0 महिला
12.		,,	4	अनु0 जाति
13.		,,	10	अनारक्षित
14.		,,	11	अनारक्षित
15.		रणखिला	7	अनु0 जाति
16.		बड़सीमी	1	अ0जा0 महिला
17.		बसर	2	अ0जा0 महिला
18.		भाटन्यालज्यूला	1	अन्य महिला
19.		मनाऊ	2	अन्य महिला
20.		ज्योली	5	अनु0 जाति

1	2	3	4	5
21.	धौलादेवी (14)	दन्या	7	अनु0 जाति
22.		मेल्टाजोल	1	अ0जा0 महिला
23.		,,	5	अनारक्षित
24.		देवतलीगूँठ	3	अ0जा0 महिला
25.		चमुवाखालसा	7	पि0व0 महिला
26.		आरासल्पड	9	पि0व0 महिला
27.		बलसूना	4	अन्य महिला
28.		,,	5	अनारक्षित
29.		तडकोट	3	अनु0 जाति
30.		चामी	6	अनु0 जाति
31.		क्वैराली	2	अनारक्षित
32.		नौगांव	7	अन्य महिला
33.		थली	4	अनारक्षित
34.		फुलईजागेश्वर	7	अनारक्षित
35.	ताकुला (09)	ओलियागाँव	3	अनारक्षित
36.		आगररौलकुड़ी	2	अनारक्षित
37.		सुनोली	1	अनारक्षित
38.		अर्जुनराठ	5	अनारक्षित
39.		अर्जुनराठ	3	अ0जा0 महिला
40.		गुरूड़ा	5	अनारक्षित
41.		पडोलिया	6	अ0जा0 महिला
42.		चुराड़ी	1	अन्य महिला
43.		खाड़ीसुनार	3	अन्य महिला
44.	ताड़ीखेत (05)	बगूना	4	अनारक्षित
45.		चौना	3	अन्य महिला
46.		बधाण	7	अ0जा0 महिला
47.		बंगौड़ा	3	अनारक्षित
48.		मंगचौड़ा	6	अनारक्षित
49.	स्याल्दे (01)	उप्राड़ी	4	अन्य महिला
50.	सल्ट (19)	अछरौन	4	अ0जा0 महिला
51.		,,	5	अनु0 जाति
52.		इनलो	4	अ0जा0 महिला
53.		,,	5	अनु0 जाति
54.		कनगड़ी	2	अ0जा0 महिला

1	2	3	4	5
55.	सल्ट (19)	कनगड़ी	3	अनु0 जाति
56.		कानेखलपाटी	4	अन्य महिला
57.		कूपी	2	अ0जा0 महिला
58.		चौना	2	अनारक्षित
59.		,,	5	अन्य महिला
60.		जालीखान	2	अ0जा0 महिला
61.		तोल्यों	5	अनु0 जाति
62.		दन्यूड़ा	1	अ0जा0 महिला
63.		नदोली	5	अ0जा0 महिला
64.		मन्हैत	5	पि0व0 महिला
65.		रणथमल	3	अनु0 जाति
66.		सबोलीरौतेला	3	अन्य महिला
67.		,,	5	अ0जा0 महिला
68.		गढ़कोट मल्ला	2	अनारक्षित
69.	द्वाराहाट (02)	सलना	2	अनारक्षित
70.		बूंगा	2	अनारक्षित
71.	लमगड़ा (02)	रतखान	2	अन्य महिला
72.		कपकोट	9	अनारक्षित
73.	भिकियासैण (02)	कमराड़	3	अन्य महिला
74.		खरक	4	अनारक्षित

प्रारूप–2

प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों का विवरण

जनपद का नाम–अल्मोड़ा

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4
1.	धौलादेवी	धार	अनु0 जाति
2.	द्वाराहाट	सलना	अन्य महिला
3.	ताकुला	बैगनिया	अनारक्षित
4.	ताकुला	पोखरी	अनारक्षित
5.	ताकुला	लोद	अनु0 जाति
6.	भिकियासैण	सिनौड़ा	अनारक्षित
7.	हवालबाग	बिन्तोला	अ0जा0 महिला
8.	हवालबाग	स्यूनराकोट	अनारक्षित
9.	ताड़ीखेत	मंगचौड़ा	अनारक्षित

प्रारूप–3

सदस्य क्षेत्र पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों का विवरण

जनपद का नाम–अल्मोड़ा

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	क्षेत्र पंचायत का क्रमांक व नाम	आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4
1.	ताड़ीखेत	06–बधाण	अनारक्षित

ईवा आशीष श्रीवास्तव,
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0),
अल्मोड़ा।

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला योजना समिति) उत्तरकाशी

अधिसूचना

26 जून, 2018 ई0

पत्रांक 102/पं0–जि0यो0स0/2018–जनपद उत्तरकाशी में जिला योजना समिति के लिए जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के 04 बढ़े हुए सदस्यों के निर्वाचन हेतु जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की मतदाता सूची को तैयार किए जाने के लिए मा0 राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या–367/रा0नि0आ0 अनु–03/1452/2016, दिनांक 18 जून, 2018 के क्रम में, मैं, डॉ0 आशीष चौहान, जिला मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग ऑफिसर (जिला योजना समिति), उत्तरकाशी निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार आज दिनांक 26.06.2018 को उक्त निर्वाचन हेतु निर्धारित मतदान केन्द्र/स्थल की सूची तथा मतदाताओं की अन्तिम सूची (सूचियाँ संलग्न की गई है) प्रकाशित करता हूँ:–

परिशिष्ट–1

जिला योजना समिति के 04 बढ़े हुए सदस्यों (परिसीमन में कुल सदस्यों की संख्या 15 कर दी गई है) के निर्वाचन के लिए जिला पंचायत की निर्वाचक नामावली–2018

(जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की मतदाता सूची)

मतदातासूची का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 26.06.2018 जनपद–उत्तरकाशी

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम–जिला पंचायत क्षेत्र, उत्तरकाशी। मतदान केन्द्र/स्थल का नाम–जिला पंचायत सभागार, उत्तरकाशी

मतदाता क्रमांक	जिला पंचायत क्षेत्र का नाम	जिला पंचायत वार्ड (कक्ष) संख्या/नाम	मतदाता का नाम	लिंग स्त्री/पुरुष	पिता/पति का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तरकाशी	01–टकनौर	श्री जितेन्द्र	पुरुष	श्री प्रताप सिंह
2.		02–नाल्ड कटूड	श्रीमती मंगला देवी	स्त्री	श्री घनश्याम
3.		03–नैताला (बाड़ाहाट)	श्रीमती सरिता राणा	स्त्री	श्री मानेन्द्र सिंह
4.		04–लदाडी (बाड़ागडी)	श्रीमती अनीता	स्त्री	श्री केदार सिंह
5.		05–कोटियालगाँव	श्रीमती सीमा	स्त्री	श्री गुलाब सिंह
6.		06–मातली (बरसाली)	श्रीमती संतोषी	स्त्री	श्री केशर सिंह
7.		07–डुण्डा	श्री कुलदीप सिंह	पुरुष	श्री प्रहलाद सिंह
8.		08–गेंवला (मण्डारस्यू)	श्री लक्षमण सिंह	पुरुष	श्री बचन सिंह
9.		09–पुजारगाँव (धनारी)	श्री पवन	पुरुष	श्री हरिशंकर
10.		10–न्यूगांव गाजणा	श्रीमती अनीता	स्त्री	श्री अरविन्द सिंह
11.		11–दिचली	श्री जोगेन्द्र सिंह	पुरुष	श्री हरि सिंह
12.		12–मरगांव (गमरी)	श्री प्रकाश चन्द	पुरुष	श्री नागचन्द

1	2	3	4	5	6
13.		13–बणगांव	श्रीमती बिमला नौटियाल	स्त्री	श्री जनानन्द नौटियाल
14.		14–मथोली	श्री हर्ष अग्निहोत्री	पुरुष	श्री पूर्णलाल
15.		15–कुथनौर	श्री भगत सिंह	पुरुष	श्री रघुवीर सिंह
16.		16–डख्याटगांव	श्री अनिल	पुरुष	श्री हृदयलाल
17.		17–पौंटी	श्रीमती जशोदा	स्त्री	श्री भूपेन्द्र सिंह
18.		18–नौगांव	श्रीमती विमला	स्त्री	श्री मातवर सिंह
19.		19–कफनौल (डामटा)	श्रीमती गीता	स्त्री	श्री बचन दास
20.		20–हुडोली	श्रीमती पूनम देवी	स्त्री	श्री अमीचन्द
21.		21–रामा	श्री दीपक विजल्वाण	पुरुष	श्री द्वारिका प्रसाद
22.		22–जखोल	श्रीमती रेवती देवी	स्त्री	श्री बलवीर सिंह
23.		23–नानई मोरी	श्रीमती अवतारी देवी	स्त्री	श्री भगवान सिंह
24.		14–आराकोट	श्री प्रकाश	पुरुष	श्री प्रीतम दास
25.		25–नैटवाड	श्रीमती सुनिता देवी	स्त्री	श्री जयचन्द

जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के जिला योजना समिति के बढ़े हुए सदस्यों के पदों पर निर्वाचन–2018 हेतु मतदान केन्द्र/मतदान स्थलों की सूची

(जिला पंचायत से सम्बन्धित प्रारूप)

जनपद का नाम उत्तरकाशी।

क्रमांक	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम	सम्मिलित जिला पंचायत का नाम	मतदान केन्द्र/स्थल का क्रमांक व नाम	मतदान स्थल से सम्बद्ध मतदाताओं की संख्या
1	2	3	4	5
1.	जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र	जिला पंचायत, उत्तरकाशी	01–जिला पंचायत सभागार, उत्तरकाशी	25

डॉ0 आशीष चौहान,
जिला मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग ऑफिसर,
(जिला योजना समिति), उत्तरकाशी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 29 हिन्दी गजट/397–भाग 3–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।